

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)

पत्रांक 3319 /14-1-1 अलीगढ़, दिनांक, मई: 01/06, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- सिकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0डी0सी0
सिकर-II से अलीगढ़ पारेषण लाइन (पैकेज-टी0डब्लू 03) के निर्माण के
सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/146255/2021)

सन्दर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-2979/14-10 दिनांक
07.01.2022

नहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़
ने सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अधिसूचित संरक्षित/आरक्षित वनभूमि
की श्रेणी में नहीं आती है।

अतः प्रशनगत प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अलीगढ़ वन प्रभाग में भूमि
हस्तान्तरण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तदनुरूप प्रस्ताव ऑन-लाईन अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया,
01/06/2022
(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ महाप्रबन्धक सिकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लि0
की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।